न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 167 / 2014

1. मोहनकंवर पत्नी केशुसिंह 2. जेठूसिंह 3. लालसिंह 4. किशनसिंह 5. हुक्म कंवर	पुत्र एवं पुत्रियां केशुसिंह	जाति राजपूत निवासी गोपालसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। – अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ। –रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. 1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 03.04.1992

उपस्थितः–

श्री पालाराम सुथार अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 11.12.2017

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखंड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 03.04.1992 के विरूद्ध पेश की गई है जिसके द्वारा प्रार्थी केशूराम को रा.का.अ.की धारा 15 एएए के तहत 23 बीघा कमांड व 4 बीघा अ.क. पर निःशुल्क खातेदारी एवं 23 बीघा भूमि कीमतन खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश दिये गये है। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से चक 3 आरजेएम के प.न. 161 / 16 के कि.न. 12, 13, 19, 22 की 4 बीघा भूमि डबल आवंटन कर दी गई की सीमा तक निरस्त करने की चुनौती दी है।

11/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 03.04.1992 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 26.09.2014 को पेश की है जिसके लिये अपीलांट ने मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र पेश कर अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 12.09.2014 को पटवारी हल्का से होना बताया और अपील को अन्दर मियाद मानकर स्वीकार करने का निवेदन किया ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अपील लगभग 22 वर्ष विलम्ब से पेश की है। अपीलाधीन आदेश प्रार्थी को सुनकर पारित किया गया था इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को न हो। अतः मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज की जावें ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 03.04.1992 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 15एएए रा.का.अ. 1955 के तहत 50बीघा भूमि की तो खातेदारी दी गई मगर उसके कब्जे की शेष 4 बीघा भूमि पर खातेदारी नहीं दी गई। अतः 54 बीघा भूमि पर खातेदारी देने हेतु अधी.न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.04.1992 को फैसल होकर जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को विधि परीक्षण हेतु पत्रावली भेजी जाना जाहिर है तथा अपील दिनांक 26.09.2014 को लगभग 22 वर्ष बाद पेश की है, जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 4 में अंकित किया है कि " प्रार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 23.09.2014 को हुई जब प्रार्थीगण पटवारी हल्का के पास के.सी.सी. के कागजात बनवाने गये तो पटवारी हल्का ने बताया कि आपके नाम कुल 46 बीघा भूमि रेकार्ड में दर्ज है" अतः इस तिथि को date of knowledge of decision मानकर विलम्ब माफ करने का निवेदन किया जबकि अधी.न्यायालय की पत्रावली के

11/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पृष्ठ संख्या 29 पर स्वयं अपीलांट के अंगूठा निशान वाला प्रार्थना पत्र उपलब्ध है जिसमें अंकित है कि " निर्णय दिनांक 03.04.92 के विरूद्ध पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ द्वारा अपील की गई है जिसमें निर्णय दिनांक 23.12.92 द्वारा पत्रावली को रिमाण्ड किया जा चुका है नकल निर्णय 03.05.92 व 23.12.92 की प्रतिलिपि प्रस्तुत है" इस प्रार्थना पत्र व रेकार्ड से यह साबित है कि अपीलांट को निर्णय की जानकारी दिनांक 23.04.2014 से पूर्व होकर दिनांक 27.02.1996 को उसके प्रार्थना पत्र में confessed है। अतः अपील अपीलांट तकनीकी मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर